

का रिपोर्ट करे
17/09
अ. अ. अ.

(राजस्थान पू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

ग्रामीण सेवा क्षेत्र
विकास नंबर 20/9/2025

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>मुंदरवा</u> पं० <u>अ. अ. अ.</u> मू०अ०नि०पु० <u>अ. अ. अ.</u> तहसील- <u>अ. अ. अ.</u>							
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा ई०	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०	
1.	299	345	0.0632	नीवासिंह पु० अ० अ०	नीवासिंह पु० अ० अ०	7.	
1		346	0.0632	जाते - राजपुत्र 9 गैरक का-ई-ई जाते-दाल	नारायणसिंह पु० अ० अ० अध्यासिंह जाते राजपुत्र 9 गैरक का-ई-ई-दाल		
<p>मुताबिक डिप्लॉम/जमाबंदी सयत <u>2075-78</u> के उपरोक्तानुसार <u>मिस्त्र</u> शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० पू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष अग्रण योग्य है। <u>आ. अ. अ.</u> ह० पटवारी पं० <u>अ. अ. अ.</u> दिनांक <u>17-09-25</u></p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है। <u>अ. अ. अ.</u> ह० मू०अ०नि० पु० <u>अ. अ. अ.</u></p>		<p>पं०हत्का <u>आ. अ. अ.</u> मू०अ०नि० <u>आ. अ. अ.</u> की रिपोर्ट व साबिके रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से शीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष सादर प्रेषित है। <u>अ. अ. अ.</u> ह० राजस्व अधिकारी</p>	<p>पं०हत्का <u>आ. अ. अ.</u> मू०अ०नि० <u>आ. अ. अ.</u> राजस्व अधिकारी <u>अ. अ. अ.</u> की रिपोर्ट व साबिके रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हात जमाबंदी में अमल किया जावे। <u>अ. अ. अ.</u> ह० उपखण्ड अधिकारी</p>

17-09-25

मजमे आम में जोच की गई मौका फर्द तैयार की गई नीवासिंह का खरी नाम नारायणसिंह है नारायणसिंह एवं नीवासिंह एक ही व्यक्ति है प्राची का अग्रपत्र संलग्न है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम नीवासिंह को नीवासिंह उर्फ नारायणसिंह दर्ज किए जाने की अनुरोध की जाती है।



अ. अ. अ.
EUR mt-Abu
17-09-25

अ. अ. अ.
अ. अ. अ.